व्यवहार न्यायालय, भागलपुर

नियुक्ति संबंधी सुचना

विज्ञापन सं 01/2016 **भागलपुर, दिनांक 06.06.2016.**

व्यवहार न्यायलय, भागलपुर के अंतगर्त 27 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी (**अनुसेवक**) पदों की सख्या, जो आवश्यकतानुसार, घटायी या बढ़ायी जा सकती है, वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1650(नॉन-मैट्रिक के लिए), 5200-20200 ग्रेड पे 1800(मैट्रिक के लिए), के पदों हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है । इच्छुक आवेदक स्वहस्तलिखित अपना आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का दो फोटो आवेदन-पत्र में यथास्थान पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक/तकनीकी/चरित्र प्रमाण-पत्र के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति एवं अपना पता लिखा हुआ 05 रु का स्टाम्प-युक्त लिफाफा संलग्न कर जिला न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, नियुक्ति समिति, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर, पिन- 812001 के पते पर निबंधित/स्पीड-पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि विज्ञापन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर कार्यालय-अवधि तक निश्चित रूप से पहुँच जाय । आवेदन-पत्र हेतु A-4 आकर के मोटे-सादे कागज का प्रयोग करें । अधुरा/दोषपूर्ण आवेदन-पत्र बिना कोई कारण बताए वैध कारणों से अस्वीकृत कर दिया जाएगा । बिहार सरकार के नियमानुसार अभ्यर्थियों को कोटिवार आरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

जो अभ्यर्थी पूर्व में विज्ञापन सं.01/2013 दिनांक 18.11.2013 के आलोक में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

सामान्य निर्देश

1. आवेदक भारत का नागरिक हो ।
2. स्वस्थ हो ।
3. चरित्रवान हो / अच्छे आचरण का हो ।
4. आवेदक की आयु विज्ञापन की तिथि को सामान्य वर्ग के लिए 18-37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) 18-40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / जनजाति (पुरुष एवं महिला उम्मीदवार के लिए) 18-42 वर्ष होना चाहिए । सरकारी / अर्ध सरकारी अथवा लोक उपक्रम में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे । आरक्षण सरकारी नियमानुसार देय होगा । आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी को प्रदान किया

जाएगा । आवेदकों को साक्षात्कार के समय बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

I. अनुसेवकों की 27 रिक्तियां वर्गवार निम्नप्रकार से है -

क्रम सं	वर्ग का नाम	रिक्तियां
1	अनारक्षित वर्ग	14
2	पिछड़ा वर्ग	3
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	5
4	अनुसूचित जाति	4
5	अनुसूचित जनजाति	0
6	पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला	1

II. आयु की गणना दिनांक 01.06.2016 की तिथि से की जाएगी ।

5. अगर किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि आवेदन पत्र में गलत सूचना दी गयी है या शैक्षणिक सूचनाएं छिपाई गयी हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

6. निर्धारित योग्यताए:

   - आवेदक को हिंदी एवं अंग्रेज़ी पढने- लिखने का ज्ञान हो ।
   - साइकिल चलने का ज्ञान हो । महिला आवेदकों को लिए अनिवार्य नहीं है ।
   - शारीरिक रूप से स्वस्थ हो एवं कठिन कार्य करने की क्षमता हो ।
   - जन्मतिथि सुनिश्चित करने हेतु आवेदक/आवेदिका सही सबूत संलग्न करें ।
   - नियुक्ति समिति के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन-पत्रों की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित होगा ।

7. आवेदक यदि नियोजनालय में निबंधित हों, तो नियोजनालय का नाम एवं निबंधन संख्या का उल्लेख करें । (सरकारी/ अर्द्ध-सरकारी अथवा लोक-उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं)

8. आवेदन-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें कि क्या आवेदक/आवेदिका पर कोई फौजदारी मुकदमा चल रहा है/किसी फौजदारी मुक़दमा में सजा सुने गई है ?

9. अपूर्ण/दोषपूर्ण एवं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा चाहे वह डाक-विलम्ब के कारण ही क्यों न हो ।

10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा ।

11. विज्ञापन संबध कोई भी शुद्धि-पत्र / परिशिष्ट, यदि भविष्य में कोई हो, इस विज्ञापन का भाग होगा ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भागलपुर ।